रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 7, 2019/आश्विन 15, 1941
No. 595] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 2019/ASVINA 15, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 762(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 72 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंतर-मत्रालयी समन्वयन समिति (आईएमसीसी) का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i)	राजस्व सचिव	राजस्व विभाग	-	अध्यक्ष
(ii)	सचिव	वित्तीय सेवाएं विभाग	-	सदस्य;
(iii)	सचिव	आर्थिक कार्य विभाग	-	सदस्य;
(iv)	सचिव	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	-	सदस्य;
(v)	सचिव (पूर्व)	विदेश मंत्रालय	-	सदस्य;
(vi)	निदेशक, आसूचना ब्यूरो	गृह मंत्रालय	-	सदस्य;
(vii)	अध्यक्ष	भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड	-	सदस्य;
(viii)	अध्यक्ष	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	-	सदस्य;
(ix)	उप गवर्नर (बैकिंग विनियम)	भारतीय रिजर्व बैंक	-	सदस्य;
(x)	अध्यक्ष	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड	-	सदस्य;
(xi)	अध्यक्ष	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	-	सदस्य;

(xii)	विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)	गृह मंत्रालय	-	सदस्य;
(xiii)	सदस्य (बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)	डाक विभाग	-	सदस्य;
(xiv)	निदेशक	प्रवर्तन निदेशालय	-	सदस्य;
(xv)	महानिदेशक	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण	-	सदस्य;
(xvi)	महानिदेशक	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	-	सदस्य;
(xvii)	निदेशक	वित्तीय आसूचना एकक-भारत	-	सदस्य;
(xviii)	निदेशक	गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय	-	सदस्य;
(xix)	महानिदेशक	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो	-	सदस्य;

(xx) अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किए जाने वाले कोई अन्य सदस्य

2. उक्त समिति के निर्देश निबन्धन निम्नलिखित हैं:-

(क) सरकार, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, वित्तीय आसूचना एकक-भारत और विनियामकों या पर्यवेक्षकों के बीच प्रचालनात्मक समन्वयन;

(ख) सभी संगत या सक्षम प्राधिकारियों के बीच नीतिगत सहयोग और समन्वय;

(ग) संबंधित अधिकारियों, वित्तीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के बीच ऐसा परामर्श करना, जो समुचित हों और जो धनशोधन निवारण से संबंधित हैं या आतंकवाद वित्तपोषण से मुकाबले के लिए विधियों, विनियमों और मार्गदर्शन सिद्धांतों से संबंधित है;

(घ) धन शोधन निवारण या आतंकवाद वित्तपोषण से मुकाबले पर नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

3. राजस्व विभाग में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल प्रकोष्ठ उक्त समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

4. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एफ-11011/29/2017-ईएस सैल-राजस्व विभाग]

अरविंद सरन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2019

G.S.R. 762(E).—In exercise of the powers conferred by section 72A of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, the Central Government, hereby constitutes an Inter-ministerial Co-ordination Committee (IMCC), consisting of the following members, namely:—

(i)	Revenue Secretary	Department of Revenue	-	Chairman
(ii)	Secretary	Department of Financial Services	-	Member;
(iii)	Secretary	Department of Economic Affairs	-	Member;
(iv)	Secretary	Ministry of Corporate Affairs	-	Member;
(v)	Secretary (East)	Ministry of External Affairs	-	Member;
(vi)	Director, Intelligence Bureau	Ministry of Home Affairs	-	Member;
(vii)	Chairman	Securities and Exchange Board of India	-	Member;

(viii)	Chairman	Insurance Regulatory and Development Authority of India	-	Member;
(ix)	Deputy Governor (Banking Regulations)	Reserve Bank of India	-	Member;
(x)	Chairman	Central Board of Indirect Taxes and Customs	-	Member;
(xi)	Chairman	Central Board of Direct Taxes	-	Member;
(xii)	Special Secretary (Internal Security)	Ministry of Home Affairs	-	Member;
(xiii)	Member (Banking and Direct Benefit Transfer)	Department of Posts	-	Member;
(xiv)	Director	Directorate of Enforcement	-	Member;
(xv)	Director General	National Investigation Agency	-	Member;
(xvi)	Director General	Narcotics Control Bureau	-	Member;
(xvii)	Director	Financial Intelligence Unit-India	-	Member;
(xviii)	Director	Serious Fraud Investigation Office	-	Member;
(xix)	Director General	Central Economic Intelligence Bureau	-	Member;
(xx)	any other member to be co-opted by the chair.			

2. The terms of reference of the said Committee are as follows-

(a) operational co-operation between the Government, law enforcement agencies, the Financial Intelligence Unit-India and the regulators or supervisors;

(b) policy co-operation and co-ordination across all relevant or competent authorities;

(c) such consultation among the concerned authorities, the financial sector and other sectors, as are appropriate, and are related to anti-money laundering or countering the financing of terrorism laws, regulations and guidelines;

(d) development and implementing policies on anti-money laundering or countering the financing of terrorism; and

(e) any other matter as the Central Government may specify.

3. The Financial Action Task Force Cell in Department of Revenue shall act as secretariat to the said Committee.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India.

[F. No. F-11011/29/2017-ES Cell-DoR]

ARVIND SARAN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.07 19:24:20 +05'30'